

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद।

पत्रांक/एस0एस0ए0/आ0वि0को0/ 1452-62/2006 07 दिनांक 26-12-2006

अध्यक्ष/प्रबन्धक

1. दीपजनकलाभ समिति, 15 कृष्णामन्य डेलापीर बरेली
2. जनकलाभ परिषद शमलाबाद फर्रुखाबाद
प्रधान कार्यालय 80/5 साईड नं. 01 दिव्यनगर कानपुर

विषय: वैकल्पिक शिक्षा योजनान्तर्गत छ मारगीय आवासीय विज्ञकोर्स केन्द्र संचालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शारनादेश सं० 1205/79 5 2006 दि० 18 मई, 2006 एवं राज्य परियोजना निदेशक के पत्र सं० 4925-5223/2006-07 दि० 09 जून, 2006 के क्रम में जनपद में 07 आवासीय विज्ञकोर्स संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अन्वयान में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परियोजना समिति फर्रुखाबाद की अनुमति उपरान्त निम्नलिखित विकास खण्डों में बालक/बालिकावार आवासीय विज्ञकोर्स संचालन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. दीपजनकलाभ समिति, 15 कृष्णामन्य डेलापीर बरेली - कमलगंज (बालिका)
2. कायमगंज (बालक)
3. शमलाबाद (बालिका)

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विकास खण्डों में लक्षित बच्चों को आवासीय विज्ञकोर्स संचालित करने हेतु निम्न शर्तों के अनुरार कार्यवाही एवं पत्राचार तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. सर्वशिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के परिशिष्ट 08 के अनुसार 100/- रू० के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र।
2. नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित परिशिष्ट 09 पर।
3. अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करने के प्राधिकार के प्रस्ताव की प्रतिलिपि अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट 03 पर।
4. अनुबन्ध पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
क- कार्ययोजना एवं एक्शन प्लान तथा समय सारिणी।
ख- कार्ययोजना को क्रियान्वित करने की रणनीति एवं सम्बन्धित योजना ईकाई के टी0आर0ओ0।
ग- विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों के अभिभावकों के सहमति पत्र।
घ- कार्य करने वाले अनुदेशक एवं कर्मचारियों के नाम, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता सहित सूची।
5. केन्द्र संचालन हेतु धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त की जायेगी।
6. प्रथम किश्त 40 प्रतिशत अवमुक्त की जायेगी।
7. द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत या अधिक धन का उपभोग प्रमाण पत्र मदवार प्रस्तुत करना होगा।
8. अन्तिम/तृतीय किश्त जारी करने के लिए संस्था को लिखित अनुरोध, अभिलेखीकरण एवं वार्टड एकाउन्टेण्ट से आडिट स्टेटमेंट/निर्गत राशि का उपभोग प्रमाण पत्र देना होगा।
9. आवासीय विज्ञकोर्स शिविर के बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।
10. यदि किसी भी प्रकार की कमी/शिकायत पाई जाती है तो संस्था का अनुदान समाप्त करते हुए प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।
11. आवासीय केन्द्र संचालन हेतु केन्द्र का पता भवन का मानचित्र सहित भवन स्वामी के सहमति पत्र के साथ।
12. भवन के 60 बच्चों को कक्षा-कक्ष, वैड रूम, शौचालय, रसोई, बिजली पानी व प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो।
13. केन्द्र पर 11-14 वय वर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चे ही नामांकित होंगे, जिसकी सूची अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
14. अनुदेशक की योग्यता हाईस्कूल से कम न हो।
15. बालिका आवासीय केन्द्र में अनुदेशक, केयर टेकर, रसोइया महिला होना अनिवार्य है।
16. चौकीदार की व्यवस्था संस्था को करनी होगी।
17. केन्द्र ब्लाक मुख्यालय पर संचालित किया जायेगा।

Bar

23.12.06

18. आवासीय ब्रिजकोर्स के पंजीकृत/अध्ययनरत सभी बच्चों को केन्द्र समाप्ति उपरान्त बच्चे के निकटतम प्राथमिक विद्यालय में स्तर अनुरार कक्षा में नामांकित कराये गये बच्चों की गृही सम्बन्धित सम्बन्धित बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांचोपरान्त अन्तिम किस्त निर्गत की जायेगी
19. केन्द्र का संचालन प्रत्येक दशा में जनवरी 07 के प्रथम साप्ताह में करना होगा
20. केन्द्र का राज्य, मण्डल, जिला एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा।
21. केन्द्र पर निर्धारित छात्र संख्या से कम/छात्रों के अनुपांस्थात पाये जाने पर अनुदान में कटौती कर दी जायेगी।
22. बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु एक चिकित्सक की व्यवस्था करनी होगी।
23. चाय, नाश्ता, लंच एवं डिनर की व्यवस्था समय से एवं मीनू के अनुरार पौष्टिक तालका करना होगा जिराकी समय 2 पर अधिकारियों द्वारा जांच की जायेगी।
24. बच्चों को सम्पूर्ण पठन-पाठन सामग्री संस्था को स्वयं उपलब्ध करानी होगी।
25. निर्धारित तिथि 27.12.2006 तक अनुबन्ध पत्र एवं समस्त अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर यह माना जायेगा कि संस्था केन्द्र संचालन की इच्छुक नहीं है और आपके ब्रिजकोर्स का आवंटन रद्द करने किसी अन्य को आवंटित कर दिया जायेगा।
26. 6800 रू0 प्रति बच्चा छः मासीय अवधि में व्यय करना होगा। इससे अधिक का व्यय होने पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
27. बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति आख्या मासिक उपलब्ध करानी होगी।
28. राष्ट्रीय पर्वों पर बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, स्वेच्छिक कार्यक्रम आयोजित करेगें एवं उच्चाधिकारियों को संस्था द्वारा आमन्त्रित करना होगा।
29. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

२३.१२.०६
(रमेश चन्द्र वर्मा)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फर्रुखाबाद।

पुं0स-एस0एस0ए0/आवा0ब्रिजकोर्स / 1452-62 / 2006-07 तददिनांक-
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. राज्य परियोजना निदेशक महोदय, लखनऊ।
2. अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय, लखनऊ।
3. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा महोदय, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, फर्रुखाबाद।
5. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रजलामई, फर्रुखाबाद।
7. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
8. वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्वशिक्षा, फर्रुखाबाद।
9. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद।
10. सम्बन्धित सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद।
11. सम्बन्धित ब्लाक समन्वयक संसाधन केन्द्र, फर्रुखाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फर्रुखाबाद।